




कार्यालय छावनी परिषद महु
(रक्षा मंत्रालय)

महु छावनी जिला इन्दौर (म.प्र.) पिन : 453441

दुरभाष कमांक: 07324-273226 Email: ceomhow-stats@nic.in



कईएर कुटुम्ब
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्र क्रमांक : सीबीमहु/7412/राजस्व/फुड कोर्ट

दिनांक : 17.01.2024

प्रति,

श्रीमान संपादक,
दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर, पत्रिका, अग्निबाण, फि-प्रेस
एवं छावनी परिषद, महु की वेबसाईट व सूचना पटल
महु इन्दौर म.प्र.

विषय :- संलग्न निविदा विज्ञप्ति का प्रकाशन बाबद।

उपरोक्त विषय में लेख है कि संलग्न निविदा विज्ञप्ति को समाचार पत्र के आगामी अंक में कम से कम जगह में प्रकाशित कर छायाप्रति सहित DAVP की दर अनुसार बिल भुगतान हेतु छावनी परिषद कार्यालय में प्रस्तुत करें।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद महु

संशोधित विज्ञप्ति सूचना

कार्यालय छावनी परिषद, महु
गार्डन साईट फुड कोर्ट की स्टॉल हेतु

छावनी परिषद महु द्वारा दिनांक 10.12.2023 के दैनिक समाचार पत्रो दैनिक भास्कर के पृष्ठ कमांक 10, पत्रिका के पृष्ठ कमांक 7, फि-प्रेस के पृष्ठ कमांक 05 एवम् दिनांक 11.12.2023 के समाचार पत्र अग्निबाण के पृष्ठ कमांक 12 में गार्डन साईट फुड कोर्ट की स्टॉलो को खुली निलामी के माध्यम से आवंटित करने की विस्तृत सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी मे टंकण त्रुटि होने से निम्नानुसार संशोधन जारी किया जाता है:-

क्र.	दुकान का प्रकार	संख्या	ऐरिया वर्गफीट	आधार मूल्य	खुली निलामी का विवरण
2.	गार्डन साईट फुड कोर्ट शाकाहारी (वेज)	03 के स्थान पर 09 पढा जावे	अधिकतम 96 Sqft. (अधिकतम 05 स्टॉल प्राथमिक आवंटन हेतु आरक्षित)	रूपये 5000/- प्रतिमाह जीएसटी अतिरिक्त रूपये 200/- अतिरिक्त सुविधा शुल्क	प्राथमिकता एवम् अन्य नियम व शर्तें पूर्व में जारी विज्ञप्ति अनुसार रहेगी।
3.	खाद्य सामग्री विक्रय स्थान वर्कशाप के पास	09 के स्थान पर 04 पढा जावे।	अधिकतम 80 Sqft. (अनारक्षित श्रेणी)	रूपये 4000/- प्रतिमाह जीएसटी अतिरिक्त रूपये 200/- अतिरिक्त सुविधा शुल्क	

उक्त अनुसार उपरोक्त आरक्षित श्रेणी तथा उपलब्ध किसी अन्य श्रेणी की स्टॉलो की खुली निलामी कार्यालय में पूर्व से प्रस्तुत आवेदनकर्ताओ की उपस्थिति में मंगलवार दिनांक 23.01.2024 को सांय 4:30 से 5:30 के मध्य गार्डन साईट फुड कोर्ट में की जावेगी। यदि 96 वर्गफीट की श्रेणी के किन्ही आवेदनकर्ताओ द्वारा दिनांक 15.01.2024 व दिनांक 16.01.2024 को आयोजित खुली निलामी में आवंटन प्राप्त किया गया है तो उन्हें भी पुनः अवसर प्रदान किया जावेगा। किन्तु किसी भी एक श्रेणी का ही स्टॉल आवंटन हेतु विचार किया जावेगा। इस सम्बंध में यदि किसी आवेदक को कोई आपत्ति है, तो अपनी लिखित आपत्ति मय तथ्यो के लिखित में दिनांक 22.01.2024 को दोपहर 12:30 बजे तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर राजस्व विभाग में प्रस्तुत करेगे जिसका अविलम्ब निराकरण किया जावेगा। भविष्य में इस सम्बंध में किसी भी प्रकार के आपत्ति व दावे पर विचार किया जावेगा।

अन्य नियम, शर्तें व सूचनाएँ उपरोक्त दर्शित समाचार पत्रों एवं छावनी परिषद, महु की वेबसाईट पर प्रकाशित सूचना अनुसार ही रहेगी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
महु छावनी